परिपत्र संख्या-स0द0/कं0परि0सं0-2223020 /2022-23/ 367 /राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

(सचल दल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 15 जून, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-1

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)

संयुक्त आयुक्त(वि0अनु0शा0/कार्य0/कार्पो0)

उपायुक्त (वि0अनु0शा0/खण्ड)

सहायक आयुक्त / रा0क0अधि0(वि0अनु0शा0/स0द0/खण्ड)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयांकित मामले में मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या-2223009 दिनांक 05-05-2022 से सचलदल इकाइयों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-2 में निम्न निर्देश निर्गत किए गए थे :-

"boweb पोर्टल पर वांछित कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय पोर्टल पर सचलदल एंट्री मेन्यू में इंटरसेप्शन नम्बर के आधार पर पंजी जनरेट करते हुए Transaction Detail सम्बन्धी प्रविष्टियों के साथ-साथ FORM GST MOV-09 भी जनरेट किया जाएगा जिससे सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित प्रवर्तन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।"

सचलदल इकाइयों द्वारा BO System पर प्रवर्तन सम्बन्ध कार्यवाही के दौरान FORM GST MOV 09 जारी करते समय धारा-129(3) के अन्तर्गत पारित आदेश की PDF फाईल माड्यूल पर अपलोड की जाती है। फील्ड के अधिकारियों द्वारा सम्पादित कार्यों में एकरूपता बनाए रखने एवं एक ही कार्य की पुनरावृत्ति के न होने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 05-05-2022 से सचलदल इकाइयों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-2 पर दिए गए निर्देश के क्रम में जनरेट किए जाने वाले FORM GST MOV 09 की ही PDF फाईल को BO System से FORM GST MOV 09 जारी करते समय संलग्नक के रूप में अपलोड किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

14/6/2022

(मिनिस्ती एस.)

आयुक्त

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।